न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– प्रार्थना पत्र संख्या 09/2018

निर्णय दिनांक :– 07.08.2019

गोविन्दराम पुत्र लिच्छुराम जाति जाट निवासी ग्राम देवीपुरा तहसील रतनगढ

... प्रार्थी

बनाम

मीरादेवी पत्नी सत्यनारायण जाति सुथार निवासी नौसरिया तहसील रतनगढ

.....अप्रार्थीनी

उपस्थित:–

1. श्री जगदीशप्रसाद शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री गौतम नाथोलिया अभि. अप्रार्थीनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत रिसिवर नियुक्ति

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 7.02.18 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीनी दिनांक 16.2.2018 को वकालतन उपस्थित हुई।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की ओर से एक दावा खेत ख.नं. 390 तादादी 48 बीघा, ख.नं. 391 तादादी 45 बीघा 14 विश्वा व ख. नं. 392 तादादी 11 बीघा 02 विश्वा कुल तादादी 104 बीघा 16 विश्वा वाके रोही नोसरिया बाबत विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत कर रखा है।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीनी मीरादेवी को अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.9.2017 से वर्जित किया हुआ है।

3. अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने का ज्ञान होते हुए भी दिनांक 11.9.2017 को प्रार्थी एवं उसके भाई के ख.नं. 390 की आथूनी ओर की भूमि पर नाजायज प्रवेश कर पटिया रोप दी व काश्त करदी ।

4. अप्रार्थीनी झगड़ालू व मुकदमेबाज औरत है। न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का खुलमखुला उल्लघंन कर जान से मारने की धमकी देती है। मौके पर ख.नं. 390 की आथूणी ओर की 12 बीघा भूमि कब्जा काश्त की मिडियो की स्थिति बनी हुई है। अप्रार्थीनी के विधि विरूद्व कब्जा प्राप्त करने को रोकने के लिए व विवादित भूमि की सुरक्षा के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाना जरूरी है।

5. अतः खेत ख.नं. 390 तादादी 48 बीघा भूमि में से प्रार्थी एवं उसके भाई भागीरथराम के हिस्से में आई आथूणी ओर की 12 बीघा भूमि पर रिसीवर नियुक्त फरमाया जावे व भूमि कुर्क की जावे।

6. अप्रार्थीनी मीरादेवी की ओर से एक प्रारम्भिक आपति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ख.नं. 390 की भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। विधिवत इसका कोई विभाजन नही हुआ है। प्रार्थना पत्र में सभी संयुक्त खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी ने जानबूझ कर रिकार्डेड खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है। ख.नं. 390 की पश्चिमी तरफ की भूमि पर श्रवणकुमार का कब्जा काश्त व ढाणी बनी हुई है। इसलिए संयुक्त खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना रिसिवर नियुक्त का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

7. प्रार्थी गोविन्दराम ने प्रारम्भिक आपति का जबाब प्रस्तुत कर ख.नं. 390 की आथूणी 12 बीघा का विवाद है। अप्रार्थीनी ने जबरन काश्त किया है। इसलिए प्रारम्भिक आपति खारिज की जावे।

8. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थीनी सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया रेकार्ड के अवलोकन से ख.नं. 390 तादादी 48 बीघा, ख.नं. 391 तादादी 45 बीघा 14 विश्वा व ख.नं. 392 तादादी 11 बीघा

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

02 विश्वा कुल तादादी 104 बीघा 16 विश्वा वाके रोही नोसरिया तहसील रतनगढ संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने ख.नं. 390 की आथूणी ओर की 12 बीघा भूमि पर रिसिवर नियुक्त करने की मांग की है। विधिवत खाता विभाजन होने से पूर्व सभी संयुक्त खातेदारान का कब्जा काश्त प्रत्येक ईंच पर माना जाता है। ख.नं. 390 भी संयुक्त खातेदारी की भूमि है ओर प्रार्थी ने सभी सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है। संयुक्त खातेदारान को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये आशिंक हिस्से पर रिसिवर की नियुक्ति की जानी न्यायोचित प्रतीत नही होती है। इस प्रकार प्रारम्भिक आपति स्वीकार योग्य है ।

आदेश

9. अप्रार्थीनी मीरादेवी का प्रारम्भिक आपति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ख.नं. 390 रोही ग्राम नोसरिया तहसील रतनगढ में रिसिवर नियुक्ति बाबत खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 7.8.2019 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner